"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 जुलाई 2014— आषाढ़ 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-25/18/2005. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 6 के उप-नियम (1) में, अंक एवं शब्द "25 प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-25/18/2005. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-25/18/2005, दिनांक 07-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 7th July 2014

NOTIFICATION

No. F 1-25/18/2005. — In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 80 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Transfer of Immovable Property) Rules, 1994, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

In sub-rule (1) of Rule 6, for the words "twenty five percent" the words "ten percent" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.